

प्रेस-नोट थाना खजनी गोरखपुर दिनांक 02.06.2022

धोखाधड़ी के आरोप मे वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में इकरार अहमद प्रभारी निरीक्षक थाना खजनी जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 बांके यादव मय हमराही द्वारा थाना खजनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता उर्मिला साहनी पत्नी भोला साहनी निवासी बेलहरा पिडिया बाजार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 02.06.2022 को समय करीब 05.49 बजे पीडीया बाजार थाना महुली जनपद संतकबीर नगर से म0का0 की मदद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

उर्मिला साहनी पत्नी भोला साहनी निवासी बेलहरा पिडिया बाजार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 02.06.2022 को समय करीब 05.49 बजे पीडीया बाजार थाना महुली जनपद संतकबीर नगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 30/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ0नि0 बांके यादव थाना खजनी गोरखपुर
2. का0 रंजीत सोनी थाना खजनी गोरखपुर
3. म0का0 नेहा सिंह थाना खजनी गोरखपुर